


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17  
दिनांक:-20.10.16 द्वारा निम्नांकित प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे । उक्त आदेशों निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	स्थानान्तरण आदेश	संशोधन
1	बृजराज शर्मा	माद-राजसमन्द से सोंपला सरवाड अजमेर के आदेश पर	कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन में माद-राजसमन्द के स्थान पर हिसामपुर-टौक पढा जावें ।
2	मोंगीलाल	ओर सिरोही से मावल सिरोही के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा ।
3	गोविन्द राम स्वामी	मालासर हनुमानगढ से काशी का बास सीकर के आदेश पर	कार्मिक का नाम गोविन्द स्वामी के स्थान पर गोविन्दराम स्वामी एवं वर्तमान पदस्थापन मालासर हनुमानगढ के स्थान पर मालासर हनुमानगढ पढा जावें ।
4	विद्याधर	काशी का बास सीकर से मालासर हनुमानगढ के आदेश पर	स्थानान्तरित स्थान मालासर हनुमानगढ के स्थान पर मालासर हनुमानगढ पढा जावें ।
5	शकुन्तला	खोरण्डी-कुचामन से मलकंडा-सीकर के आदेश पर	स्थानान्तरित स्थान मालाखेडा सीकर के स्थान पर मलकंडा-सीकर पढा जावें ।
6	लालचन्द	मलकंडा-सीकर से खोरण्डी कुचामन नागौर के आदेश	स्थानान्तरण आदेश में वर्तमान पदस्थापन मालाखेडा सीकर के स्थान पर मलकंडा सीकर पढा जावें ।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी।

  
**सुयुक्त निदेशक कार्मिक**  
**माध्यमिक शिक्षा राजस्थान**  
**बीकानेर**

क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17 दिनांक:- 03.11.16/17.11.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
2. संबंधित उपनिदेशक(प्रारम्भिक/माध्यमिक )
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II/विधि)
4. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
6. संबंधित कार्मिक
7. निज़ी एवं रक्षित पत्रावली

  
**संयुक्त निदेशक-कार्मिक**